

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

राजेश कुमार तिवारी,
सरकार के संयुक्त सचिव,
नगर विकास एवं आवास विभाग।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

*द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-

विषय:- आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत नगर निगम, आरा में स्वीकृत विद्युत शवदाह गृह एवं मोक्षधाम निर्माण योजना के विरुद्ध देनदारी की राशि ₹137.00999 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख नौ सौ निन्यानबे रू०) मात्र की वित्तीय वर्ष 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में राशि की व्यय की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2021-22 में विभागीय पत्रांक-506, दिनांक-19.02.2022 द्वारा निश्चय योजना-2 अन्तर्गत नगर निगम, आरा क्षेत्रान्तर्गत राशि ₹404.02 लाख (चार करोड़ चार लाख दो हजार रुपये) मात्र की शवदाह गृह निर्माण योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई थी। एकरारनामा कि राशि ₹377.58878 लाख एवं सेंटेज की राशि ₹26.43121 लाख है। वित्तीय वर्ष, 2023-24 में विभागीय राज्यादेश सं०-28, दिनांक-09.05.2023 द्वारा कुल राशि ₹101.01 लाख (एक करोड़ एक लाख एक हजार रुपये), वित्तीय वर्ष, 2024-25 में विभागीय राज्यादेश सं०-284, दिनांक-16.01.2025 द्वारा कुल राशि ₹100 लाख (एक करोड़ रुपये) तथा वित्तीय वर्ष, 2025-26 में विभागीय राज्यादेश सं०-319, दिनांक-26.09.2025 द्वारा कुल राशि ₹66 लाख (छियासठ लाख रुपये) अर्थात् कुल राशि ₹267.01 लाख (दो करोड़ सड़सठ लाख एक हजार रुपये) आवंटित की जा चुकी है।

2. प्रबंध निदेशक, बुडको, पटना का पत्रांक-44, दिनांक-04.01.2026 द्वारा आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत नगर निगम, आरा में स्वीकृत विद्युत शवदाह गृह एवं मोक्षधाम निर्माण कराने हेतु अवशेष राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है।

3. उक्त के आलोक में वित्तीय वर्ष, 2025-26 में आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 के अन्तर्गत नगर निगम, आरा में स्वीकृत विद्युत शवदाह गृह एवं मोक्षधाम निर्माण कराने हेतु स्तम्भ-7 में अंकित राशि कुल राशि ₹137.00999 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख नौ सौ निन्यानबे रू०) मात्र वित्तीय वर्ष, 2025-26 में सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत् स्वीकृत की जाती है :-

क्र० सं०	निकाय का नाम	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति की राशि	एकरारनामा + सेंटेज की राशि	पूर्व में आवंटित राशि	तत्काल स्वीकृत राशि	(राशि लाख में) एकरारनामा के अनुसार कुल अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7	8(5-6-7)
1	नगर निगम, आरा	आत्मनिर्भर बिहार के सात निश्चय-2 अन्तर्गत मोक्षधाम	404.02	404.01999 [377.58878 + 26.43121]	267.01	137.00999	00
कुल योग			404.02	404.01999	267.01	137.00999	00

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹137.00999 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख नौ सौ निन्यानबे रू०) मात्र।

4. उक्त स्वीकृत राशि ₹137.00999 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख नौ सौ निन्यानबे रू०) मात्र के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2025-26 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०-2561, दिनांक-17.04.98, पत्रांक-227, दिनांक-28.03.2025 में निहित अनुदेशों के आलोक में की जायेगी। उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा राशि बुडको के PL खाता सं०- PTSPLA006 तथा HOA- 00-8448-00-120-0014-00-01 में CFMS के माध्यम से Inter Departmental विधि से Online हस्तांतरित किया जाएगा। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी।
5. राज्य योजनाओं एवं अन्य समरूप योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में विभाग द्वारा निर्गत विभिन्न दिशा निर्देशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
6. उक्त स्वीकृत कुल ₹137.00999 लाख (एक करोड़ सैंतीस लाख नौ सौ निन्यानबे रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या-48 बजट शीर्ष-2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघुशीर्ष-051-निर्माण, उपशीर्ष-0102-मोक्षधाम का निर्माण-सात निश्चय-2, विपत्र कोड-48-2217030510102, विषय शीर्ष 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसम्पत्तियों के निर्माण से की जाएगी।
7. विभागीय पत्रांक-06, दिनांक-07.01.2026 द्वारा दिये गये निदेश के आलोक में बुडको द्वारा योजना में प्रशासनिक स्वीकृति के अधीन भौतिक प्रगति के Milestone के अनुसार राशि का भुगतान योजना में कार्यरत एजेंसी को की जाएगी एवं भुगतान किये जाने वाले एजेंसी (संस्था) के बैंक खाते में कोई भी बदलाव नहीं किया जायगा। यदि योजना में प्रवर्तन निदेशालय तथा अन्य जाँच एजेंसी द्वारा जाँच किया जा रहा है तो प्रत्येक भुगतान की सूचना अनिवार्य रूप से संबंधित जाँच एजेंसियों को उपलब्ध कराई जाएगी।
8. राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक-63, दिनांक-11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BTC-42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।
9. वित्त विभाग के संकल्प सं०-573, दिनांक-16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक-19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271 के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"
10. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-15/वि०श०-18-18/2025 के पृष्ठ सं०-33/टि० पर दिनांक-20.01.2026 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-34/टि० पर दिनांक-30.01.2026 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह०/—

सरकार के संयुक्त सचिव।

ज्ञापक-15/वि०श०-18-18/2025 479 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक- 07/2/26

प्रतिलिपि:- प्रमंडलीय आयुक्त, संबंधित प्रमंडल/संबंधित जिला पदाधिकारी/प्रबंध निदेशक, बुडको/नगर आयुक्त, नगर निगम, आरा/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, विकास भवन, पटना/संबंधित कोषागार पदाधिकारी/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग/विभागीय लेखापाल/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई०-मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा-02, 06 एवं 12, नगर विकास एवं आवास विभाग/सहायक प्रशाखा पदाधिकारी, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के संयुक्त सचिव।